



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174784

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29186 वर्ष 2026

श्याम जयंत

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

चंद्र शेखर कुशवाहा

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र शेखर कुशवाहा तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र, अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-47 सन् 2026, धारा 85, 80(2), 103(1), 3(5), 115(2) भा.न्या.सं. तथा धारा 3/4 दहेज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रतिषेध अधिनियम, थाना मंडी, जनपद सहारनपुर के अधीन आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक मृतका का देवर है और वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दहेज मृत्यु के प्रावधानों के अधीन दर्ज कराई गई थी, परंतु अन्वेषण के दौरान धारा 103(1) भा.न्या.सं. के अधीन अपराध जोड़ा गया।
4. उन्होंने आगे कहा कि इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने या तो मृतका की हत्या की या उसकी दहेज मृत्यु का कारण बना।
5. उन्होंने आगे कहा कि मृतका की शव परीक्षण रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि उसकी मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका और उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था तथा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने मृतका को विषैला पदार्थ दिया।
6. उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि मृतका का देवर होने के बावजूद आवेदक का मृतका के पारिवारिक मामलों से कोई संबंध नहीं था, परंतु चूंकि वह उसके पति का छोटा भाई था, इसलिए उसे मृतका के पति सहित अन्य लोगों के साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
7. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 28.4.2026 से जेल में है।
8. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों से इनकार नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. यह परिलक्षित होता है कि आवेदक मृतका का देवर है और आरोप के अनुसार, उसने मृतका के पति तथा अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर दहेज हेतु उसकी मृत्यु का कारण बना, परंतु यह भी परिलक्षित होता है कि आवेदक के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं।
11. इसके अलावा, यद्यपि अन्वेषण के दौरान धारा 103(1) भा.न्या.सं. के अधीन अपराध जोड़ा गया है, परंतु इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने मृतका की हत्या की।
12. अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि शव परीक्षण के दौरान मृतका की मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका और उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था तथा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने मृतका को विष दिया।
13. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 28.4.2026 से जेल में है।
14. अतः, मामले के उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
16. आवेदक-**श्याम जयंत** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।
18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण की अवधि में मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

19 अगस्त, 2026

अंकिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”